न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2025 (राजसमन्द डिकी)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
.... अपीलान्ट

बनाम

लीला पत्नी धन्नालाल, जाति खटीक, निवासी ईशरमण्ड, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
................रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दि0 02.04.2024 प्रकरण सं. 26/2020

——/——

उपस्थित :– 1– श्री अनिल बागोरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

——::——

निर्णय **दिनांक 11–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ईशरमण्ड, तहसील देवगढ़ में आराजी नंबर 1364/521 शा.न. 543,5 रकबा 5 बिस्वा, जिसके वर्तमान नंबर 752 रकबा 79.0000 हैक्टर भूमि स्थित है, इसमें वादीया का रकबा 1.0800 हैक्टर होकर पूर्व में यह भूमि सोहनलाल पिता कालूनाथ के खातेदारी में दर्ज थी, जिससे वादीया ने रजिस्टर्ड खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, किन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान बिना किसी आदेश के बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी, जबकि वादीया आज भी काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि बिलानाम दर्ज हो जाने से राज्य सरकार द्वारा कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है। अतः वादीया को आराजी नंबर 1364/521 शा.न. 5... रकबा 5 बिस्वा जिसके वर्तमान बिलानाम आराजी नंबर 752 रकबा 79.0000 हैक्टर में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:22 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

रकबा 1.0800 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–04–2024 से वादीया का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 1364/521 शा.न. 543,5 रकबा 5 बिस्वा के अनुसार बने आराजी नंबर 1364/521 शा.न. 543,5 कुल रकबा 5 बीघा का वादीया को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट भूमिधारी होकर तहसीलदार के पद पर पदासीन है तथा तहसीलदार के पास न्यायालय के कार्य के अतिरिक्त राजस्व संबंधी बहुत से राजकीय कार्य होने से व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकिया कायम नहीं की [illegible] ही साक्ष्य ली गयी तथा बिना साक्ष्य के प्रतिवादी/अपीलान्ट की [illegible] उपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:22 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबंधन अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

में निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

7. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया है इसलिए तनकियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 421 में आराजी नंबर 1364/521 पर वादिया का नाम था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में अंकित किया है कि प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति जवाब पेश किया गया, जिससे तनकियात विवेचित किये जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रतिवादी की स्वीरोक्ति बाबत कोई जवाब पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। सिर्फ बिन्दुवार जाचं रिपोर्ट है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकारोक्ति का जवाब मानते हुए वादीया/रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–04–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर एवं तनकियां कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:22 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधि
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर